तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
13-10-20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाल फरिकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 19-10-20 को पेश हो।
19-10-20	पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी उपस्थित। वकील प्रार्थीया पक्ष दिनांक 24-9-20 को वादी के जरिये वकील विभाजन प्रस्ताव पेश कर बाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रार्थना पत्र अ० आदेश 6 नियम 17 CPC पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी का दावा दिनांक 10-6-2019 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री हो चुका है। उनवान प्रकरण में प्रार्थी/वादी का नाम भूलवश एवं सहवन से खेमाराम पुत्र कालूराम दर्ज होता रहा जबकि प्रार्थी/वादी का सभी दस्तावेजों में नाम खेमसिंह पुत्र कालूराम दर्ज है। इस कारण उनवान दावे की सभी मदों एवं रिलिफ में तथा निर्णय एवं डिक्री में खेमाराम के स्थान पर खेमाराम उर्फ खेमसिंह किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी आदेश 6 नियम 17 CPC ~~स्वीकार~~ एवं 152 CPC सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार चिड़ावा को आदेश दिये जाते हैं कि बाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक तहसीलदार चिड़ावा पक्षकारान का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। प्रार्थी/वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाकर खेमाराम के स्थान पर खेमाराम उर्फ खेमसिंह दर्ज किया जावे। [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.07.19 12:57:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner